रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2019/वैशाख 27, 1941
No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2019/VAISAKHA 27, 1941

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2019

सा.का.नि. 372(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में समूह "ग" के लिपिकवर्गीय पदों की भर्ती को नियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** –

(1) इन नियमों को **'**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (समूह ग मंत्रालय पद) भर्ती नियम**, 2019'** कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन -** ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम **(1)** में निर्धारित पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, **वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) -** उक्त पदों की संख्या**,** उनके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर, उक्त अनुसूची के कॉलम **(2)** से **(4)** में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, **आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यता आदि -** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति**,** आयु सीमा**,** शैक्षिक योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम **(5)** से **(13)** में यथानिर्दिष्ट होंगे।

5. अयोग्यता – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी / पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है और किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के तहत मान्य है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य करने के अन्य कारण हैं जो किसी व्यक्ति को नियम के लागू होने में छूट प्रदान करते हैं।

6. छूट देने की शक्ति केंद्रीय सरकार का विचार है कि व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में जहां इन नियमों के किसी प्रावधानों से छूट दिया जाना, जहां ऐसा करना आवश्यक अथवा वांछनीय है तो आदेशानुसार कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति को इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत छूट दी जा सकेगी।

7. **अपवाद** - इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा और अन्य रियायतों में छूट को इन नियमों से सम्बद्ध कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रवर श्रेणी लिपिक (यूडीसी)	7* (2019) *कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय	लेवल - 4 (25500-81100 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्ताएं पदोन्नति के मामलों में लागू होंगी अथवा नहीं ?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन और विभिन्न पद्धतियों के किस माध्यम से भरी जाएंगी और भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा भर्ती के मामलों में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में पे-मैट्रिक्स में लेवल -2 (19900 रुपए – 63200 रुपए) में 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति के द्वारा। **नोट:** जहां, जिन कनिष्ठ कर्मचारियों ने अपनी पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचाराधीन है, उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उन्होंने आधी या उससे अधिक अर्हक या पात्रता सेवा अवधि या जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और अपने उन कनिष्ठ सहकर्मियों जिन्होंने यह अर्हक या पात्रता सेवा के साथ अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या स्वायत्त अथवा अर्ध-सरकारी या सांविधिक संगठनों से संबद्ध अधिकारी - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारक ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स में लेवल -2 (19900 रुपए - 63200 रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा सहित ; और (ख) अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और अनुभव इस प्रकार है: (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य योग्यता। (2) कम्प्यूटर पर न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टंकण में और 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में टंकण गति बशर्ते: **नोट 1:** फीडर श्रेणी में भी वे विभागीय अधिकारी जो सीधे पदोन्नति की कतार में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार करने के पात्र नहीं होंगे तथा उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति के अभ्यर्थी पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। **नोट 2:** इस नियुक्ति से तुरत पूर्व, उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्र सरकार के विभाग में किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद से सम्बद्ध प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	ऐसी स्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा सकता है
(12)	(13)
(i) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – अध्यक्ष (ii) उपसचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय -सदस्य (iii) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग –सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)	10* (2019) * कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय	लेवल 2 (19900 रुपए - 63200)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष तक (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी

					कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी) **नोट:** आयु सीमा की अंतिम तिथि के लिए निर्धारण हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि मानी जाएगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप-मण्डल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्ताएं लागू होंगी ?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। (2) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण (टाइप) गति होनी चाहिए। **नोट 1:** दिव्यांगजन (फिजिकली हैंडीकेप्ड) जो अन्यथा लिपिकीय पद धारण करने के योग्य हैं और जिन्हें दिव्यांगों के लिए रोजगार कार्यालयों के साथ विशेष रूप से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड (जहां ऐसे बोर्ड नहीं हैं- सिविल सर्जन) द्वारा टंकण कार्य के लिए अयोग्य प्रमाणित किया गया है, को टंकण परीक्षा में छूट दी जा सकती है। **नोट 2:** शब्द 'दिव्यांगजन' वे लोग शामिल नहीं हैं जो नेत्र दृष्टि से दिव्यांगजन हैं या सुनने में	लागू नहीं	दो वर्ष

सक्षम नहीं हैं परंतु इसमें वही दिव्यांगजन शामिल हैं जिनकी शारीरिक अक्षमता उन्हें केवल टंकण कार्य हेतु स्थायी रूप से वंचित करती है। **नोट 3:** अन्यथा अर्हक उम्मीदवारों के मामलों में कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर अहर्ताओं में छूट दी जा सकती है।		

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन और विभिन्न पद्धितयों के किस माध्यम से भरी जाएंगी और भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा भर्ती के मामलों में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और वरिष्ठत, सह-उपयुक्तता के आधार पर 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बहु कार्य कर्मचारियों में से पे-मेट्रिक्स में लेवल – 1 (18000 रुपए -56900) के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा। **नोट:** जिन कनिष्ठ कर्मचारियों ने अपनी पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उन्होंने आधी या उससे अधिक अर्हक या पात्रता सेवा अवधि या जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और अपने उन कनिष्ठ सहकर्मियों जिन्होंने यह अर्हक या पात्रता सेवा के साथ अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	ऐसी स्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा सकता है
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना : (i) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – अध्यक्ष (ii) उप- सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय -सदस्य (iii) अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 20025/09/2018-एनसीएसटी]

ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2019

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ‘C’ Ministerial posts in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes (Group ‘C’, Ministerial posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications; etc. - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age–limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk (UDC)	7* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-’C’ Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 4 (Rs. 25500-81100)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years.

Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	By promotion from amongst Lower Division Clerks in Level 2 (Rs. 19900-Rs. 63200) in pay matrix with eight years of regular service in the National Commission for Scheduled Tribes. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous, Semi–Government or statutory organisations- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (1) 12th Class or its equivalent/qualification from a recognized Board or University.

	(2) Minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. Provided that: **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt or applications.

Composition of Department Promotion Committee.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
(i) Joint Secretary National Commission for Scheduled Tribes – Chairman. (ii) Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs -Member. (iii) Under Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes –Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk (LDC)	10* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900 63200).	Not applicable	Between 18 years to 27 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,

					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
(1) 12th Class pass from a recognized Board or University. (2) Minimum typing speed of Thirty-five words per minute in English or Thirty words per minute in Hindi on computer: **Note 1:** Physically handicapped person who are otherwise qualified to hold clerical post and who are certified as being unable to type by the Medical Board attached to special Employment Exchanges for the handicapped (or by a Civil Surgeon where there is no such Board) may be exempted from passing the typing test. **Note 2:** The term 'physically handicapped persons' does not cover those who are visually handicapped or who are hearing handicapped but cover only those whose physical disability permanently prevents them from typing. **Note 3:** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two Years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
(10)	(11)
Eighty Percentage by Direct recruitment through Staff Selection Commission, and twenty percentage by promotion on the basis of seniority –cum-fitness	Promotion from amongst Multi-Tasking Staff of the National Commission for Scheduled Tribes having three years regular service in grade of level 1 (Rs. 18000-56900), in the pay matrix. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Composition of Department Promotion Committee.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
The Departmental promotion committee (for considering Promotion) consisting of: - (i) Joint Secretary National Commission for Scheduled Tribes – Chairman. (ii) Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs -Member. (iii) Under Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes - Member.	Not applicable.

[F. No. 20025/09/2018-NCST]

A. K. SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.22 23:02:13 +05'30'